

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

आवश्यक सूचना

प्राधिकरण की योजनाओं की रिक्त गैर आवासीय सम्पत्तियों को "E-AUCTION" पद्धति से निस्तारण हेतु दिनांक 16-08-2018 से 31-08-2018 तक की अवधि का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया गया था, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण की 111वीं बोर्ड के सम्पन्न होने तक प्रश्नगत सभी गैर आवासीय सम्पत्तियों "E-AUCTION" से हटा दी गयी है।

प्राधिकरण की 111वीं बोर्ड के आयोजन तक गैर आवासीय सम्पत्तियों का निस्तारण पूर्व की भाँति प्रत्येक मंगलवार को निविदा सह नीलामी पद्धति से होता रहेगा।
सचिव। उपाध्यक्ष।